

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2055
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का कार्यान्वयन

2055. श्री जय प्रकाश:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केंद्र सरकार के प्रमुख मिशन - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को अभी तक कार्यान्वित नहीं करने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं;
- (ख) क्या सरकार उक्त योजना को पूरे देश में अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसकी योजना अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए 64,180 करोड़ रुपए का परिव्यय है।

इस योजना में स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी और जन स्वास्थ्य कार्रवाई को एकीकृत और सुदृढ़ करने के लिए नवीन परंपराओं में सुधारों की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत उपायों का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों को मजबूत करना है ताकि सभी स्तरों अर्थात् प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट स्तर पर स्वास्थ्य

परिचर्या में निरंतरता लाई जा सके, साथ ही वर्तमान और भविष्य की महामारियों और आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार किया जा सके।

योजना के सीएसएस घटकों के तहत, निम्नलिखित पांच गतिविधियां हैं जहां योजना अवधि (2021-2026) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है:

- आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र जो अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के नाम से जाने जाते हैं, के रूप में 17,788 भवन रहित उप-केन्द्रों का निर्माण।
- शहरी क्षेत्रों में 11,024 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों, जिन्हें अब एएएम कहा जाता है, की स्थापना, जिसमें मलिन बस्ती और मलिन बस्ती जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- ब्लॉक स्तर पर 3382 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) की स्थापना।
- देश में 730 जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना, जिसमें प्रत्येक जिले में ऐसी एक प्रयोगशाला होगी।
- 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में 602 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉकों की स्थापना।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं। पीएम-एबीएचआईएम के तहत पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू पीएम-एबीएचआईएम दिशा-निर्देशों में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप हैं।
